

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा सं०	अर्जित किया जाने वाला क्षेत्रफल
1.	मवी कला	181	1777 0-595
2.	मवी कला	195/2 ✓	2.586 2-103 ✓
3.	मवी कला	225	2.285 2-241
		योग	5.648 4-939 है०
			0.709 है०

0.182  
0.483  
0.044  
0.709

नोट :- खसरा नं० 181/0-595, 195/2, 2-103 व 225/2-241 हैक्टेयर का कब्जा परिषद को धारा-168ए में विवादाधीन होना के कारण पूर्व में हस्तगत नहीं किया गया था जिसके सम्बन्ध में तहसीलदार सहारनपुर ने अपन पत्र सं०-3705 दिनांक 14-12-2004 के साथ अपनी सूचना देते हुये अवगत कराया कि यह क्षेत्रफल धारा 168ए से प्राभावित नहीं है। इसी क्रम में तहसीलदार, सहारनपुर की सूचना अनुसार भौतिक कब्जे की कार्यवाही की जा रही है। तथा भूस्वामियों को अपनी सम्पत्ति को प्रार्थना पत्र के आधार पर उसे हटाने की नियमानुसार स्वतंत्रता होगी।

कब्जा लेने वाले के हस्ताक्षर

नाम : मनोज कुमार  
 पद नाम : अवर अधीक्षक  
 कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,  
 उ०प्र० आवास विकास परिषद,  
 निर्माण खण्ड-6, सहारनपुर।

दिनांक : 25/5/05

[Signature]  
 अधिशासी अभियन्ता  
 उ०प्र० आवास विकास परिषद,  
 निर्माण खण्ड-6, सहारनपुर।

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर

नाम : मदन लाल व निरंजन सिंह  
 पदनाम : अमीन  
 कार्यालय-अपर जिलाधिकारी,  
 (भू०अ०) आवास, मेरठ।

[Signature]  
 अपर जिलाधिकारी (भू०अ०)  
 आवास मेरठ।

खसरा नं०	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
177	0.143
178	0.164
179	0.061
180	0.164
182	0.042
183	<u>0.072</u>
184	0.072
185	0.092
186	0.081
188	0.113
191	0.050
192	0.051
195/1	0.016
195/4	0.415
195/5	0.840
195/6	0.840
195/7	0.661
208	<u>0.085</u>
209	0.095
210	0.095
211	0.112
212	0.328
224	0.646
226	0.410
227	0.133


12.57

Ahu

L B

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के रिट सं० 14230 /2002 के द्वारा दिनांक 17.4.2002 को स्थगन आदेश होने के कारण कब्जा कार्यवाही से प्रथक रखा जा रहा है। जिनका निर्णय होने के उपरान्त ही कब्जे की कार्यवाही पृथक से की जायेगी तथा प्रस्ताव में निहित ग्राम समाज, नाली, सडक, आबादी, शमशान आदि की भूमि के पुर्नग्रहण की कार्यवाही अर्जन निकाय द्वारा स्वयं अपने स्तर से की जायेगी- जिसको भी कब्जे से पृथक रखा गया है। यदि खसरा सं० 195/2, 181 व 225 के अतिरिक्त उक्त सूची में अंकित अन्य खसरा नम्बरान में कोई खसरा नं० का क्षेत्रफल धारा 168 (ए) से प्रभावित होता है तो उसको कब्जे से पृथक माना जायेगा।

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर


  
24-4-2002

(विनय कुमार शर्मा)


अमीन


कार्यालय अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति)  
आवास मेरठ


Seen


  
अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति)  
आवास मेरठ।  
24/4/02

कब्जा लेने वाले के हस्ताक्षर

  
24/4/02  
(सुदेश कुमार गोयल)  
अवर अभियन्ता

  
24-4-02  
(संजीव शुक्ला)  
अवर अभियन्ता

  
24/4/2002  
(मनोहर कुमार)  
सहायक अभियन्ता  
Seen

  
24/4/2002  
(मेहर चन्द)  
अधिशारी अभियन्ता  
30प्र० आवास विकास परिषद  
निर्माण खण्ड-6  
सहारनपुर।